

पर लागू होते हैं। वे गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होते। अलबत्ता वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई सामान्य नीति का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

**भारतीय सामान के निर्यात में गिरावट को रोकने के लिये किये गये उपाय**

2372. श्री सुशील कुमार धारा : क्या आर्थिक तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दी गई सुविधाओं के अधीन निर्यात किये जा रहे भारतीय सामान के निर्यात में गिरावट को रोकने तथा निर्यात व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य में वर्तमान सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ,

(ख) यूरोपीय देशों को हमारे निर्यात में वृद्धि की क्या संभावनाएँ हैं , और

(ग) ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश तथा अन्य कई कारणों के फलस्वरूप भारत तथा ब्रिटेन के बीच व्यापार के अन्तर्ग को पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

**आर्थिक तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग)** . (क) पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारतीय निर्यात बढ़ते रहे हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हमारे निर्यात व्यापार में न केवल गिरावट रोकने अपितु उसमें वृद्धि भी करने

के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें समुदाय की सामान्य अधिमान प्रणाली के अधीन उपलब्ध टैरिफ लाभों का उपयोग करते हुए इन बाजारों को निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार तथा उद्योग में दिव्यचस्पी तथा जागरूकता पैदा करना शामिल है। इस संदर्भ में अन्य विभिन्न प्रकार की पहल भी की जाती है, यथा विशेषीकृत मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, उत्पाद दलों के दौरे, कतिपय उत्पादों के बारे में भिन्न-भिन्न भाषाओं में विवरणिकाएँ छापना तथा वितरित करना, इन बाजारों की पसन्द के मुताबिक भारतीय उत्पादों का अनुकूलन तथा आणवोधन।

(ख) इन बाजारों का निर्यात बढ़ाने की संभाव्यताएँ अनेक बातों पर निर्भर होंगी, यथा हमारे हित के उत्पादों के लिए बाजार में निर्बाध प्रवेश इन देशों में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियाँ हमारे उत्पादों की प्रतियोगिताक्षमता, क्वालिटी, मानकों के अनुरूप माल का होना समय पर मुपुर्दगी देना आदि। हमारा यह मत प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र को निर्यात बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएँ।

(ग) विगत कुछ वर्षों में ब्रिटेन को भारतीय निर्यात बढ़ते रहे हैं। सगत कारणों में समुचित उपबन्धों द्वारा ब्रिटेन के बाजार के सम्बन्ध में कतिपय वस्तुओं से सम्बन्धित हमारे हितों का यथासंभव संरक्षण करने के अलावा, ब्रिटेन को होने वाले निर्यातों में वृद्धि करने के लिए अधिमानों का सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध टैरिफ लाभों का उपयोग करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सेमिनार आयोजित करना, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रतिनिधिमंडलों के दौरे आयोजित करने आदि जैसे बहुत से संवर्धनात्मक कदम भी उठाए गए हैं।